(नजा(१))
पत्रांक- 199 सोनभद्र दि0- 4.5.2019

नीलामी की सूचना एव शर्तें

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय सोनभद्र के अन्तर्गत प्रांगड जजी खण्ड एवं मुन्सफी खण्ड मे स्थित दुकानों का, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, की नीलामी वर्ष 2019–20 (15 मई 2019 से 31 मार्च 2020) के लिये दिनांक 15.05.2019 समय अपरान्ह 02:00 बजे न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश एफ.टी.सी. न्यू कोर्ट के सामने स्थित बरामदे में की जायगी।

इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 08.00 बजे से 10.00 बजे तक निर्धारित नगद जमानत की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा तथा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 भाग जैसा की बोली के समय नीलामी समिति द्वारा आदेशित किया जायेगा नजारत अनुभाग में जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की धनराशि जब्त करके द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाले को यह अवसर दे दिया जाएगा। उच्चतम बोली की शेष 3/4 भाग तीन बराबर किश्तों में जमा करनी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त अग्रिम रूप मे ठेका प्रारम्भ होने के समय ही जमा करना होगा। शेष द्वितीय व तृतीय किश्त की धनराशि क्रमशः 30 सितम्बर 2019 व 31 दिसम्बर 2019 तक निश्चित रूप से जमा करना होगा। जमानत/सुरक्षा धनराशि अन्तिम किश्त में समायोजित की जायेगी। बोली स्वीकार हो जाने के दशा मे 100.00 रूपया के स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट निष्पादित कराना होगा। जिसमें निम्नलिखित शर्तें होंगी

1. यह कि द्वितीय पक्ष नीलामी एव अपने सामानों का सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगा एवं सफाई का जिम्मेदार होगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष के ठेके की धनराशि दिनांक 15.05.2019 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.03.2020 तक रहेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष का जिस काम का ठेका होगा वह स्वयं करेगा किसी अन्य को दुकान ठेके पर नहीं देगा।
4. यह कि उपरोक्त शर्तो को यदि द्वितीय पक्ष पालन नही करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जाएगा।
5. यह कि उपरोक्त ठेके से उत्पन्न सम्पूर्ण विवाद के सन्दर्भ में एक मात्र क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को ही होगा।
6. यह कि ठेके की शर्तों का पालन न करने पर एत हुई हानि की वसूली पब्लिक मनी (रिकवरी ऑफ ड्यूज) एक्ट 1965 के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके [illegible] की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
7. यह कि उपरोक्त रूप में प्राप्त ठेके के बावत शर्तों के उलंघन की दशा में मुक्ति-युक्त सुनवाई [illegible] अधीन ठेका निरस्तीकरण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र का होगा।

दुकानों आदि का विवरण जिनकी नीलामी की जानी है :–

क्र.सं.	दुकानों का नाम	स्थल का नाम	जमानत धनराशि
1	पान की दुकान	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बाये साइड)	5000.00
2	फोटो स्टेट	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बाये साइड)	5000.00
3	पान की दुकान	मुन्सफी खण्ड	5000.00

नोट:–

1. जिन ठेकेदारों के नाम काली सूची में है वे बोली बोलने के लिए अधिकृत नहीं होगें।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए बोली नहीं बोलेगा।
3. नीलामी की बोली की शर्त मन्जूर करने पर ही कोई ठेकेदार बोली बोलने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश सोनभद्र को होगा।
5. दिवालिया घोषित व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी नहीं होगा।
6. विधि अनुसार संविदा करने में सक्षम व्यक्ति ही बोली बोलने का अधिकारी होगा।

(सुनील शेखर) सि0 जज जू0डि0 सदस्य दुकानों की नीलामी समिति जनपद न्यायालय सोनभद्र	(महेन्द्र कुमार II) सि0 जज सी0डि0, एफ.टी.सी. सदस्य दुकानों की नीलामी समिति जनपद न्यायालय सोनभद्र	Santosh Kr. Gautam 30/4/19 (संतोष कुमार गौतम) अपर जनपद न्यायाधीश [illegible] अध्यक्ष दुकानों की नीलामी समिति जनपद न्यायालय सोनभद्र

प्रतिलिपि:–

1. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
2. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
3. नोटिस बोर्ड मुन्सफी खण्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
4. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी व तहसीलदार राबर्टसगंज सोनभद्र।
5. नोटिस बोर्ड रोडवेज बस स्टैण्ड, राबर्टसगंज सोनभद्र।
6. स्थानीय समाचार पत्र।
7. केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग को official website पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना अधिकारी सोनभद्र को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।